

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**:: संकल्प ::**

पटना-15, दिनांक 21.9.22

**विषय :-** बिहार प्रशासनिक सेवा के नवनियुक्त परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का आधारभूत प्रशिक्षण।

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के बढ़ते कार्यभार, विकास कार्यक्रमों में उत्तरोत्तर वृद्धि, कार्य निष्पादन की नई-नई तकनीक, लोक दायित्व में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये बिहार प्रशासनिक सेवा के नव-नियुक्त पदाधिकारियों के लिये पूर्व से निर्धारित प्रशिक्षण की अवधि एवं कार्यक्रम को संशोधित करते हुये विभागीय संकल्प झापांक 13982 दिनांक 23.10.2018 द्वारा प्रशिक्षण अवधि को 40 सप्ताह निर्धारित किया गया।

सरकारी सेवकों को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य उनके ज्ञान एवं कौशल के उन्नयन तथा उनमें कर्तव्य के प्रति समर्पण का भाव पैदा करने के साथ ही राज्य के विकास में उनकी क्षमता का भरपूर उपयोग करना है। समय के साथ आधुनिक तकनीक के उत्तरोत्तर विकास, बढ़ती हुई प्रशासनिक जटिलता एवं दायित्वों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये बिहार प्रशासनिक सेवा के नव-नियुक्त पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की अवधि एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

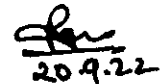
अतः उक्त तथ्यों के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के नव-नियुक्त पदाधिकारियों के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की अवधि 80 सप्ताह करते हुये प्रवेशकालीन प्रशिक्षण हेतु निम्नवत् प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है :-

| क्र० सं० | सप्ताह | प्रशिक्षण कार्यक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अवधि (सप्ताह) | अभ्युक्ति                                                                                            |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 1-20   | प्रथम चरण सांस्थिक प्रशिक्षण (Induction Training)                                                                                                                                                                                                                                                                | 20            | बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना के अधीन।               |
| 2        | 21-26  | भारत दर्शन एवं राज्य के बाहर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में सांस्थिक प्रशिक्षण                                                                                                                                                                                                                                | 06            | Administrative Staff College of India/National Institute of Rural Development, Hyderabad and Others. |
| 3        | 27-32  | प्रशासनिक कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण<br>1. न्यायिक प्रशिक्षण - 1 सप्ताह<br>2. आपदा प्रबंधन, सामान्य शाखा एवं जन सम्पर्क - 2 सप्ताह<br>3. पुलिस विभाग एवं गोपनीय शाखा - 1 सप्ताह<br>4. विकास शाखा एवं निर्वाचन शाखा - 1 सप्ताह<br>5. अनुमण्डल कार्यालय - 1 सप्ताह                                               | 06            |                                                                                                      |
| 4        | 33-41  | वित्तीय कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण<br>1. नजारत शाखा, वाणिज्य-कर एवं परिवहन शाखा का प्रशिक्षण - 2 सप्ताह<br>2. मद्यनिषेध एवं निबंधन कार्यालय - 1 सप्ताह<br>3. राजस्व शाखा, भू-अर्जन एवं राजस्व न्यायालय-2 सप्ताह (DM, ADM & DCLR Courts)<br>4. कोषागार प्रशिक्षण - 2 सप्ताह<br>5. सर्वे एवं बंदोबस्त - 2 सप्ताह | 09            |                                                                                                      |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                        |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 42-43 | मानव संसाधन से संबंधित प्रशिक्षण<br>1. शिक्षा - 1 सप्ताह<br>2. स्वास्थ्य - 1 सप्ताह                                                                                                                                                        | 02 |                                                                                        |
| 6  | 44-45 | आधारभूत संरचनाओं से संबंधित प्रशिक्षण<br>1. भवन, उद्योग एवं ऊर्जा - 1 सप्ताह<br>2. लोक स्वास्थ्य, पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य - 1 सप्ताह                                                                                                  | 02 |                                                                                        |
| 7  | 46-50 | कृषि एवं संबद्ध कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण<br>1. कृषि, पशु एवं मत्स्य, वन एवं पर्यावरण - 2 सप्ताह<br>2. खाद्य, सहकारिता एवं बैंकिंग - 1 सप्ताह<br>3. जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन-1 सप्ताह<br>4. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास - 1 सप्ताह | 05 |                                                                                        |
| 8  | 51-53 | सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण<br>1. पिछड़ा/अति पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अल्पसंख्यक - 1 सप्ताह<br>2. सामाजिक सुरक्षा - 1 सप्ताह<br>3. श्रम संसाधन, अभिलेखागार एवं कार्यालय अधीक्षक - 1 सप्ताह                         | 03 |                                                                                        |
| 9  | 54    | पंचायत निरीक्षण, नगर निगम, नगरपालिका एवं पंचायत निरीक्षण- 1 सप्ताह                                                                                                                                                                         | 01 |                                                                                        |
| 10 | 55-74 | प्रखंड/अंचल प्रशिक्षण                                                                                                                                                                                                                      | 20 | प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी के रूप में पूर्ण प्रभार                           |
| 11 | 75-78 | द्वितीय चरण सांस्थिक प्रशिक्षण<br>(Second phase institutional Training)                                                                                                                                                                    | 04 | बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना के अधीन। |
| 12 | 79-80 | विभिन्न प्रकरणों पर मूवमेंट/ट्राजिट के लिए समय                                                                                                                                                                                             | 02 |                                                                                        |
|    |       | कुल                                                                                                                                                                                                                                        | 80 | (अस्सी सप्ताह)                                                                         |

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजे दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
20.9.22

(रघुनाथ पाटिल)  
सरकार के अपर सचिव

झापांक-18/प्रशि0-01-09/2022सा.प्र.....17214..... पटना, दिनांक...21.9.22.....

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से) प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 200 (दो सौ) प्रतियों विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

  
20.9.22  
सरकार के अपर सचिव

झापांक-18/प्रशि0-01-09/2022सा.प्र.....17214..... पटना, दिनांक...21.9.22.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर फुलवारी शरीफ, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी/वरीय प्रभारी, प्रशाखा-12, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
20.9.22  
सरकार के अपर सचिव